

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगाराम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 108/2022

प्रार्थीगण	बनाग	अप्रार्थीगण
1. सोहननाथ पुत्र भैरूनाथ उर्फ लुम्बनाथ		1. चेतन कुमार पुत्र हरिराम (नावालिग)
2. कन्यादेवी पत्नि भैरूनाथ उर्फ लुम्बनाथ		2. प्रकाशराम पुत्र हरिराम (नावालिग)
3. मदननाथ पुत्र भैरूनाथ उर्फ लुम्बनाथ		जरिये कुदरती संरक्षण पिता हरिराम
4. माणकनाथ भैरूनाथ उर्फ लुम्बनाथ		जाति जाट निवासीगण धुन्धला तह0
5. ललिता पुत्री भैरूनाथ उर्फ लुम्बनाथ		3. मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।
6. धननाथ पुत्र नैननाथ जातिगण नाथ		तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
निवासीगण सिसरवादा तह0 . सोजत		
जिला पाली राजस्थान।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित:-

1. श्री कैलाश दवे श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उपस्थित

:- निर्णय :-

दिनांक :- 24/10/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैसाणा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 216 रकबा 1.4500 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 221 रकबा 1.8100 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि के ख.नं. 221 में दर्ज कंकु देवी पत्नी नैननाथ का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके उत्तराधिकारी वारिसान प्रार्थीगण ही है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज भैरूनाथ एवं लुम्बनाथ एक ही व्यक्ति हैं, जो प्रार्थीगण के पूर्वज हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा सिसरवादा के खसरा नंबर 216 कृषि भूमि में से दिलाये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया

गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बाचजूद सूचना/तामिल वार वार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों विन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1235 दिनांक 29.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत रोड़, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 221 में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। वादीगण की आराजी में आने जाने हेतु सबसे नजदीक प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा एबीसीडी है, जो खसरा नंबर 216 में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 167 मीटर × 5 मीटर = 0.0835 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 195485/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार $(195485/- \text{रू0} \times 2 \times 0.0835 \text{ है0} = 32646/- \text{रूपये}$ बनते हैं। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 216 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत्त सोजत रोड़ की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी, सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा के खसरा नम्बर 221 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 216 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकूलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के

वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तागत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत रोड़, पटवारी हल्का की रिपोर्टनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 216 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैसाणा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 216 रकबा 1.4500 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 221 रकबा 1.8100 है0 में पहुंचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (195485/- रू0 × 2 × 0.0835 है0 = 32646/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0सं0	ख0नं0 व किरम	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	216 बा0अ0	1.4500 है0	नाबालिग चेतन कुमार पुत्र हरिराम नाबालिग प्रकाशराम पुत्र हरिराम, जरिये कुदरती संरक्षण पिता हरिराम जाति जाट सा. धुन्धला तह0 मा0 ज0 खातेदार	167 मी0 × 5 मी0 = 0.0835 है0	32646/-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात् प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग



माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाक्का दाखिल
दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(मासिंगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 24/10/2024 को सर्रे इजलास मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(मासिंगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत